कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

पत्रांक 2211 /ओबरा/33   दिनांक, 15-3- 2022.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, वाराणसी द्वारा 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाईन निर्माण में प्रभावित रेनुकूट वन प्रभाग में 98.28हे0 आरक्षित वन भूमि, ओबरा वन प्रभाग में 113.048हे0 आरक्षित वन भूमि, सोनभद्र वन प्रभाग में 15.79हे0 आरक्षित वन भूमि, मीरजापुर वन प्रभाग में 37.51हे0 आरक्षित वन भूमि एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग में 54.652हे0 आरक्षित वन भूमि कुल प्रभावित 319.28हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक–2409/11–सी दिनांक–17.02.2021.

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव में प्रभावित होने वाला वन भूमि के लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव उचित माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित किया गया। उनके द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त 02 बिन्दुओं पर आपत्ति लगाते हुए अपने कार्यालय के पत्रांक–2409/11–सी दिनांक–17.02.2021 द्वारा आपत्ति लगाते हुए, सन्दर्भित पत्र में इंगित कमियों का निराकण करनें का निर्देश दिया गया है। जिसके अनुपालन में आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार हैः–

क्र0 सं0	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक–2409/11–सी दिनांक–17.02.2021	निराकरण
1	**2**	**3**
1.	इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक–28.09.2021 के द्वारा इंगित कमियों के निराकण के कम में आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न किये गये दिनांक–06.10.2021 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में विचारोपरान्त निम्नलिखित मत स्थिर किया गया है। ''चूकि भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0 दिनांक–01.11.1993 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष	इस कार्यालय के पत्रांक–621/ओबरा/33 वन्दो0 दिनांक– 03.09.2020 द्वारा महोदय को अवगत कराया गया था कि विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में तत्समय में जारी अनुमति में समय–सीमा नहीं थी, अतः लीज अवधि के उपरान्त भी इनके द्वारा भूमि का उपयोग किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तथा महोदय के कार्यालय पत्र संख्या 1824/ मी0क्षे0/33 दिनांक–11.10.2021 द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक–06.10.

	2014 के उपरान्त किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।'' उक्त के क्रम में ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा आहूत बैठक में विषयगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के पत्रांक–जी0आई0–444 / 14–2–93–707 / 89 दिनांक–08 / 23.02.1994 द्वारा निर्गत विज्ञप्ति में वर्णित शब्दों '' मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि राज्यपाल महोदय उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद को उक्त योजना हेतु 319.28हे0 वन भूमि 20 वर्षो हेतु लीज पर दिये जाने की स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197 / 91–एफ0 सी0 दिनांक–01.11.1993 में निहित शर्तो एवं निम्न शर्तो (विज्ञप्ति में उल्लिखित शर्ते) पर प्रदान करते हैं'' का संज्ञान नहीं लिया गया है। अतः प्रकरण में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत उक्त विज्ञप्ति में अधिरोपित शर्तो का भी संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करनें का कष्ट करें तथा इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक–28.09.2021 के द्वारा इंगित कमियों के निराकण के उपरान्त संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।	2021 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त जारी किया गया है, जिसमें उल्लिखित है कि ''चूकि भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197 / 91–एफ0सी0 दिनांक–01.11.1993 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।'' उ0प्र0 शासन के पत्रांक–जी0आई0–444 / 14–2–93– 707 / 89 दिनांक–08 / 23.02.1994 द्वारा निर्गत विज्ञप्ति में वर्णित शब्दों '' मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि राज्यपाल महोदय उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद को उक्त योजना हेतु 319.28हे0 वन भूमि 20 वर्षो हेतु लीज पर दिये जाने की स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या–8– 197 / 91–एफ0 सी0 दिनांक–01.11.1993 में निहित शर्तो एवं निम्न शर्तो (विज्ञप्ति में उल्लिखित शर्ते) पर प्रदान करते हैं'' का संज्ञान लेते हुए महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक–06.10.2021 में मत स्थिर किया गया है। उक्त सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी का कोई अतिरिक्त मत नहीं है।
2.	प्रस्ताव में संलग्न किया गया एन0पी0वी0 की गणना भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक–06.01.2022 के द्वारा जारी संशोधित दरो के अनुसार नहीं है। अतः भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक–06.01.2022 के द्वारा जारी संशोधित दरो के अनुसार समस्त सम्बन्धित वन प्रभागों की एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव में संलग्न करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण गणना आन लाईन भाग–2 से डिलिट कर संशोधित गणना आना लाईन अपलोड करें।	भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक–06.01.2022 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार एन0पी0वी0 का सम्बन्धी प्रमाण प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है तथा पूर्व में त्रुटिपूर्ण गणना आन लाईन भाग–2 से डिलिट कर संशोधित गणना आना लाईन अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

एन0पी0वी0 की गणना सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

भारत सरकार के आदेश संख्या–8–197/91–एफ0सी0 दिनांक–01.11.1993 तथा संयुक्त सचिव, वन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या जी0आई0 444/14–2–93–707/89 लखनऊ दिनांक–08/23 फरवरी 1994 द्वारा 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 319.28हे0 वन भूमि 20 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित की गयी है। उक्त हस्तान्तरित लीज में 113.048हे0 वन भूमि ओबरा वन प्रभाग की सम्मिलित है। ओबरा वन प्रभाग से सम्बन्धित 113.048हे0 वन भूमि को लीज समाप्ति की तिथि दिनांक–22.02.2014 से आगामी 30 वर्षो के लीज नवीनीकरण करनें बावत प्रस्ताव प्रभाग में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत किये गये लीज नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–एफ0न0–5–3/2011–एफ0सी0 (वी0ओ0एल0 I) दिनांक–06.01.2022 द्वारा निर्धारित एन0पी0वी0 की धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0सं0	प्रकरण विवरण	प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि(हे0)	इको क्लास–3 एवं वानस्पतिक घनत्व 0.1 के अनुसार एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि प्रति हे0 लाख में	एन0पी0वी0 की निर्धारित कुल धनराशि (रू0में)
1	400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी ट्रांसमिशन लाईन	113.048	9,57,780.00 रुपये प्रति हे0	10,82,75,114.00

(रू0 दस करोड़ बयासी लाख पचहत्तर हजार एक सौ चौदह रुपये मात्र)

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

F:\New Folder\AM-6.Docx